.....फर्म.....

779/20 T.I

मोहरसिंह

यालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

ांक	फर्द अहकाम	
28/6	बकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी ..... पधारे है। मतानुसार दिनांक..... को पेश हो। 28-6-24	
8/6/24	पत्रावली पेश हुई। सायल व सायल वकील उप० नहीं। प्रकरण में बार-बार सायल व सायल को आवाज लगवायी गयी। आवाज लगवाने के बावजूद सायल व सायल वकील उप० नहीं। जिससे पाया जाता है कि सायल व सायल वकील प्रकरण आगे चलाने इच्छुक नहीं है रहे है। अतः मु० क० 779/2020 T.I मोहरसिंह बनाम गजरी अदम पत्नी व अदम वगैरा में स्थगित किया जाता है। पत्रावली कैलाश कुमार ठेकर लश्कर से कम है। उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.04 17:20:29 IST
Reason: SelfAttested